न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, मुजफ्फरपुर

उपस्थित :– आलोक कुमार पाण्डेय II, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, मुजफ्फरपुर

प्रोबेट वाद संख्या–31 / 2018

आदेश

18.02.2025 वाद अभिलेख इस वाद के आवेदक सुरेन्द्र राय की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.12.2025 तथा उसके विरूद्ध विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 21.12.2023 पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत है।

आवेदक का अपने उपरोक्त आवेदन के माध्यम से यह कहना है कि इस वाद की विपक्षी जो रामलगन राय की लड़की है उसने इस वाद में अपना आपत्ति पत्र दाखिल करने के बाद पैरवी करना छोड़ दिया था जिस कारण आवेदक के शपथ पर दिये गये मुख्य परीक्षण में उनके द्वारा उठाये गये मुद्दो के सम्बंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कहा गया है कि विपक्षी अब मुकदमा में पैरवी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक का पूर्व में दिये गये शपथ पर मुख्य परीक्षण को निरस्त करते हुए उनके द्वारा इस आवेदन के साथ दाखिल उनके मुख्य परीक्षण को स्वीकार करते हुए विपक्षी को इसके आधार पर प्रतिपरीक्षण करने का आदेश दिया जाये।

विपक्षी का अपने प्रतिउत्तर के माध्यम से यह कहना है कि आवेदक का यह आवेदन विधि एवं तथ्य के दृष्टि से पोषणीय नहीं है और कानून में किसी साक्षी के पूरी गवाही को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। कहा गया है कि पूर्व में आवेदक के प्रतिपरीक्षण के दौरान आवेदक अपने केस को साबित करने में असफल रहा है। इस कारण वह अपने उस मुख्य परीक्षण को निरस्त करने का आवेदन दाखिल किया है। यह भी कहा गया है कि इस विपक्षी ने अपना लिखित कथन बहुत पूर्व में ही दाखिल किया था, इसलिए इस आधार पर आवेदक का यह आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाये।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक सुरेन्द्र राय का शपथ पर मुख्य परीक्षण पूर्व में दाखिल हुआ था और इस मुख्य परीक्षण के आधार पर विपक्षी द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण विस्तार से किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी ने इस वाद में अपना लिखित कथन दिनांक 7 जूलाई, 2019 को ही दाखिल किया था जिसके आधार पर यह प्रोवेट केस मूल वाद के रूप में परिवर्तित

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, मुजफ्फरपुर
उपस्थित :– आलोक कुमार पाण्डेय II, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, मुजफ्फरपुर

प्रोबेट वाद संख्या–31/2018

किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी के लिखित कथन में उठाये गये विवाद बिन्दुओं की जानकारी आवेदक को न होने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी आवेदक ने अपने आवेदन में विपक्षी द्वारा विशिष्ट रूप से उठाये गये उन वाद बिन्दुओं को नहीं दर्शाया है, जिसे वे अपने मुख्य परीक्षण जोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक का यह अस्पष्ट आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है। लेकिन आवेदक को यह विकल्प दिया जाता है कि विपक्षी द्वारा उठाया गया कोई ऐसा विशिष्ट वाद बिन्दु जिसे वह अपने पूर्व के शपथ पत्र में नहीं दे पाये हैं, वैसे वाद बिन्दु के सन्दर्भ में आवेदक से पुनः परीक्षण करने के संदर्भ में आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

वाद अभिलेख दिनांक **10.03.2025** वास्ते अग्रिम कार्यवाई।

लेखापित

(आलोक कुमार पाण्डेय II)
अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम
मुजफ्फरपुर